बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....................

संख्या–8 / आ०5–48 / 2022....................../ क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 230 (उच्च) दिनांक 30.08.2022 द्वारा श्री रामदहिन प्रसाद, तत्कालीन प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर –सम्प्रति–सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, फलका, कटिहार के विरूद्ध श्रीमती विभा रानी, सम्प्रति सेवानिवृत शिक्षिका, संलग्न अभ्यासशाला, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) के जाँच से आच्छादित होने के कारण आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाहीधीन किया गया था, फिर भी उपरोक्त तथ्यों को छुपाते हुए स्वहित में सेवांत लाभों का निष्पादन कराये जाने के कारण सरकारी राजस्व की क्षति हुई जो कि इनके स्वेच्छाचारिता, उच्चाधिकारी के आदेशों का अवहेलना का द्योतक होने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से निदेशालय पत्रांक 25 दिनांक 17.01.2023 द्वारा बचाव अभिकथन की माँग की गयी। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव अभिकथन में अंकित किया गया कि श्रीमती विभा रानी के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का उल्लेख करते हुए महालेखाकार को पेंशनादि निष्पादन हेतु पत्र दिया गया था। साथ ही यह भी अंकित है कि उक्त अनुशासनिक कार्यवाही का फलाफल निर्गत नहीं हुआ था। तदालोक में निदेशालय पत्रांक 1145 दिनांक 20.12.2024 द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त बचाव अभिकथन पर मंतव्य की माँग की गयी। उनके द्वारा मंतव्य प्रतिवेदित किया गया कि श्रीमती विभा रानी, सम्प्रति सेवानिवृत शिक्षिका, संलग्न अभ्यासशाला, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप जो कि सहायक शिक्षिका की नियुक्ति से संबंधित था, के कारण अनुशासनिक कार्यवाही संचालित था। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के फलाफल में श्रीमती विभा रानी को क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 1533 दिनांक 16.08.2022 द्वारा पूर्ण पेंशन रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया। इस गंभीर प्रकृति के आरोप के आलोक में संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के बावजूद सम्पूर्ण देय लाभों का भुगतान किया जाना नियमानुकूल नहीं था, जो सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध है।

प्राप्त आरोप पत्र, आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्रपुर से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत आरोपी पदाधिकारी के लिखित बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः श्री रामदहिन प्रसाद, तत्कालीन प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर –सम्प्रति–सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, फलका, कटिहार के

विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 139 (ख) के तहत "1% पेंशन कटौती का दंड दो (2) वर्ष के लिए" अधिरोपित किया जाता है।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक8/आ०5–48/2022–196 पटना, दिनांक 09.02.2026

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णिया/प्रशाखा पदाधिकारी, पेंशन शाखा (प्रशाखा–17), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), कटिहार/श्री रामदहिन प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, फलका, कटिहार का आवासीय पता–ग्राम+पोस्ट–भोभी, थाना–नगरनौसा (चण्डी), जिला नालंदा, मोबाईल न०–7004414032 एवं आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)